




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक 28/23-2010PS(1)

दिनांक, पंचकूला 13-03-2015

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Saini Public School, Delhi Gate, Rewari** को कक्षा 1 से 10 तक केन्द्रिय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर-बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **28/23-2010PS(1)** दिनांक **12-11-2014** में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड नं० **2505/RWR/10th/BOSE/2014** है।

सुमेधा कटारिया
अतिरिक्त संयुक्त निदेशक
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकण क्रमांक सम


दिनांक पंचकूला 31.3.2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. प्रबन्धक समिति, **Saini Sabha (Regd.) Rewari**
2. सचिव केन्द्रिय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Rewari**
5. **Headmaster, Saini Public School, Delhi Gate, Rewari**
6. टैक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।


प्रधान

सैनी सभा (रजि०)
रेवाड़ी



Principal
Saini Public School
Rewari


31/3/15

अधीक्षक पी०एस०
कृते:निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।